न्यायालय, सब जज–द्वितीय डुमरॉव, जिला–बक्सर

टी0एस0 सं0–262 / 2020

09.07.2024

उभय पक्ष की पैरवी है। वादी की तरफ से शपथ पत्र के साथ दाखिल आवेदन दिनांक–20.06.2024 अंतर्गत आदेश–6 नियम–17 एवं धारा–151 सी0पी0सी0 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के सुनवाई के उपरान्त आदेश हेतु नियत है।

आदेश

वाद पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवकता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त वाद में अर्जी के सैमुदावहा के तफसील में कुछ एराजीयात का मौजा वो खाता खेसरा रकबा में टाईपिस्ट की गलती वो भूल से गलत टाईप हो गया है तथा कुछ टाईप होना छुट गया है कि वास्ते इन्साफ के अर्जी मरम्मत वो संशोधन करना निहायत जरूरी है कि अर्जी में संशोधन महज औपचारिक प्रकृति का है जिसे संशोधन होने से मुकदमा के प्रकृति में किसी तरह का बदलाव नहीं होता है कि निम्नलिखित तरीका से अर्जी में संशोधन की इजाजत दिया जाए। अर्जी के पेज नं0–7 में विवादित भूखण्ड के तफसील में मौजा दुल्लहपुर में ''दुल्लहपुर'' को काट कर उसके जगह पर शिशुहर वो थाना नं0–123 में ''123 को काटकर ''125'' जोड़ दिया जाय वो उसके नीचे खाता के पहले ''नया'' वो खेसरा के पहले भी ''नया'' शब्द जोड़ दिया जाय। अर्जी के पेज नं0–8 में खाता नं0–222 के पहले मौजा ''दुल्लहपुर वो थाना नं0–123'' जोड़ दिया जाय। इसी मौजा में खेसरा सं0–''1095'' के पहले खाता के लाइन में ''76'' जोड़ दिया जाय वो खेसरा सं0–1096 के रकबा 0.16 डी0 के बाद में से ''आठ अंश'' काट दिया जाय। खेसरा सं0–1119 जो एराजी 0.34 डी0 है उसके आगे ''में से आठ अंश जोड़ दिया जाय। अर्जी के पेज नं0–9 के खाता सं0 76 के खेसरा सं0 891 के रकबा 32 ड0 के आगे में 1/3 यानि 10.666 डी0 वो खेसरा 1082 रकबा 38 डी0 के आगे 1/3 यानि 12. 666 डी0 वो खेसरा 1241 के रकबा 06 डी0 को काटकर उसके जगह ''07'' डी0 वो खाता 74 के खेसरा ''117'' को काटकर उसके जगह ''1107'' जोड़ दिया जाय वो मा. मौजा शिशुहर के खाता सं0 101 खेसरा 414 के रकबा ''0.33'' को काट कर ''38'' जोड़ दिया जाय। पेज सं0–10 के खाता सं0–48 के पहले मौजा–बलिहार थाना नं0– 09 वो इसी खाता के –1377'' को काटकर ''1677'' वो खेसरा ''2307'' को काट कर 2306

जोड़ दिया जाय वो खेसरा 1873 वो रकबा 0.03 डी0 को काट दिया जाय। इसी पेज के मौजा–गोपालपुर के चक खाता 14 के चक खेसरा सं0–92 रकबा 0.53 डी0 के नीचे निम्नलिखित खेसरा वो उसकी एराजी खेसरा–280 रकबा–24 डी0, खेसरा–168 रकबा–11 डी0, खेसरा–2 रकबा–62 डी0, खेसरा–111 रकबा–61 डी0, खेसरा–241 रकबा–3 एकड़ 29 डी0, खेसरा 354 रकबा–14 डी0 जोड़ दिया जाय। अर्जी के पेज सं0–11 के मौजा खरिका के चक खाता 39 चक खेसरा 151 की एराजी ''3.47'' डी0 को काटकर ''3.97 डी0 जोड़ दिया जाय वो मौजा–खन्धरा के चक खाता 37 के चक खेसरा 946 वो 947 वो इसका रकबा को काट दिया जाय वो इसी खाता के खेसरा 954 के नीचे ''फिरनी'' वो इसके आगे रकबा 0.10 डी'' को काट दिया जाय। अतः निवेदन है कि वादी का अर्जी मरम्मत आवेदन दिनांक–09.07.2024 स्वीकृत किया जाए।

प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी के द्वारा जो भी संशोधन आवेदन लाया गया है उससे वाद की प्रकृति एवं स्वरूप पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। वादी द्वारा दाखिल किया गया संशोधन आवेदन औपचारिक प्रकृति का है तथा मुकदमे के गुण–दोष के आधार पर निस्तारित करने के लिए उक्त संशोधन होना आवश्यक प्रतीत होता है। प्रतिवादी द्वारा उक्त संशोधन आवेदन पर अनापत्ति की गयी है। वादी द्वारा वाद पत्र में टंकण व लिपिकीय त्रृटि को निवारण करने की अनुमति दी जाती है। अतः न्यायहित में वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–09.07.2024 स्वीकृत किया जाता है।

यदि प्रतिवादी चाहे हो इस संशोधन के आलोक में अपना अतिरिक्त बयान तहरीरी दाखिली कर सकते हैं।

दिनांक–09.08.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

सब जज–द्वितीय